(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 497-तीन/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 8-4-2008 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 219/2006-07 अपील

शिवनाथ कुशवाह पुत्र मंगल कुशवाह
ग्राम खटकरी तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

पारसनाथ पुत्र शिवसेवक राम
ग्राम खटकरी तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आई0पी0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 04-10-2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 219/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-4-2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने उसके स्वामित्व की मौजा खटकरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 124, 224/3 के सीमांकन का आवेदन तहसीलदार खटकरी को प्रस्तुत किया। तहसीलदार खटकरी ने प्रकरण कमांक 10 अ-12/2005-06 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक

से सीमांकन कराया। सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 31-1-2006 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 416/05-06 अ-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-11-2006 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण संहिता की धारा 129 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 219/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-4-2008 से निगरानी स्वीकार की एंव अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 20-11-2006 निरस्त करके तहसीलदार खटकरी के आदेश दिनांक 31-1-2006 को यथावत् रखा। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर एंव अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक मौजा खटकरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 124, 224/3 का भूमिस्वामी है जिसके सीमांकन का आवेदन तहसीलदार खटकरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में व्यवस्था दी गई है कि कोई भी भूमिस्वामी नियत शुल्क अदा करके अपने स्वामित्व की भूमि का सीमांकन करा सकता है। अनावेदक के आवेदन पर से तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक मण्डल खटकरी को सीमांकन करने एंव प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है जिसके पालन में राजस्व

निरीक्षक ने उक्तांकित भूमि के मेढ़िया कास्तकारों को विधिवत् सूचना देकर दिनांक 10-6-05 को सीमांकन कार्य किया है। तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने दिनांक 25-7-05 को आवेदन प्रस्तुत करके सीमांकन कार्यवाही पर आपत्ति दर्ज कराई है जिस पर तहसीलदार ने आवेदक एंव अनावेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया है। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक की भूमि का गलत सीमांकन करते हुये आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 123 में नप्ती कर दी गई है जिससे आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है। यदि आवेदक स्वयं् की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानता है तब आवेदक स्वयं् की भूमि का राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा सीमांकन के संबंध में पारित आदेश दिनांक 31-1-2006 में किसी प्रकार का दोष नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 219/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-4-2008 से अपर कलेक्टर के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-1-06 को स्थिर रखा है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 219/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-4-2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर